न्यायालयःः एम०एल०राठौर, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

आदेश दिनॉंक-10.05.2018

प्र0कं0 51/13 विद्युत

.....अभियोगी

म०प्र० विद्युत	4-6
<u>/ / बनाम / /</u>	300 6
प्रयाग सिंह भदौरि	র্মী 🔨

Order sheet (contd)

case N0- 51/of 2013 F.N. 846/2013

Λ.	1.11. 040/2015	
Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
10.05.2018	परिवादी द्वारा श्री मुकेश कुमार दुबे अधिवक्ता। अभियुक्त प्रयाग सिंह भदौरिया अनुपस्थित। प्रकरण अभियुक्त प्रयाग सिंह भदौरिया की उपस्थित हेतु नियत है। पुलिस थाना गोरमी जिला भिण्ड से अभियुक्त प्रयाग सिंह भदौरिया का वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वह फरार हो गया है फरारी साक्ष्य में साक्षी आरक्षक राजेश सिंह उपस्थित हैं। उसकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द0प्र0सं0 लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है। उसकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये अभियुक्त प्रयाग सिंह भदौरिया को फरार घोषित किया जाता है। उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित आरक्षक राजेश सिंह को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे। धारा 82 द0प्र0सं0 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्त की सम्पत्ति का विवरण पेश करे। प्रकरण में आरोपी फरार हैं। तद्ानुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे।	

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखागार किया जावे। हस्ता / — (एम० एल० राठौर) विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड

STINGTA PROPERTY STATES AND STATES OF THE ST